राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)
वित्त भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
PHONE : 2740219, 2740292 email:add.gis.sipf@rajasthan.gov.in

क्रमांक: F4/GIS/Store/AC/MKBY/2023-24 1819 दिनांक– 18-12-2023

निविदा सूचना........./2023–24

कार्यालय उपयोग हेतु साधारण बीमा निधि, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर में A.C. क्रय/स्थापित करने हेतु अधिकृत/पंजीकृत/रजिस्टर्ड फर्म/संस्था/कंपनी/एजेन्सीज से सील बंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि	मात्रा	अमानत राशि रू.	निविदा शुल्क राशि रू.	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक
1	A.C. स्थापित करना	7.50 लाख रूपये	15	15,000/–	200/–	28.12.2023 2:00 PM तक	28.12.2023 को 03:00 PM

1. निविदा दाता को अमानत राशि, निविदा शुल्क की राशि का डी0डी0/बैंकर चैक अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि, जयपुर के नाम से बनवाकर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदा से संबंधित नियम, शर्ते, निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से राशि रू. 200/– रू. जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) व विभागीय वेब साइट www.sipf.rajasthan.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है। अमानत राशि व निविदा शुल्क की राशि के बिना निविदा अस्वीकृत समझी जावेगी।
3. निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा योजना, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

(ऋतु नन्दा)
अतिरिक्त निदेशक (साबीयो)
राज्य बीमा एवं प्रा.निधि विभाग,
राज.जयपुर

MKBY/Store/AC/MKBY Tender

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)
वित्त भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
PHONE : 2740219, 2740292 email:add.gis.sipf@rajasthan.gov.in

निविदा प्रपत्र

कार्यालय साधारण बीमा निधि, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर के कार्यालय उपयोग हेतु A.C. क्रय करने हेतु निविदा प्रपत्र
निविदा प्रपत्र का मूल्य 200/–(रूपये दो सौ मात्र) अमानत राशि 15,000/–
नोटः–

(1) इस बोली प्रपत्र के साथ 'ए' से 'जी' परिशिष्ट संलग्न है।

1. तकनीकी बोली प्रपत्र – परिशिष्ट 'ई'
2. वित्तीय बोली प्रपत्र – परिशिष्ट 'एफ'
3. निविदा की शर्ते – परिशिष्ट 'जी'
4. अन्य परिशिष्ट ए से डी ।

(2) निविदाऐं दो पृथक–पृथक लिफाफों में अलग अलग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करनी है।

(3) तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ सील बंद लिफाफे में निम्न प्रपत्र दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है तथा सीलबंद लिफाफे पर " A.C. क्रय करने का निविदा प्रपत्र" अंकित करना होगा।

1. फर्म/कंपनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजियन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
2. अमानत राशि का डी.डी संलग्न करना होगा।
3. बिड निविदा शुल्क 200/– का बैंकर्स चैक/डीडी/रसीद संलग्न करनी होगी।
4. फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज।
5. जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।

(4) जिन फर्मो/ठेकेदारों की तकनीकी निविदायें उपयुक्त पाई जायेगी उन्हीं फर्मों के वित्तीय प्रस्तावों की निविदाएं खोली जायेगी, अन्य फर्मों को अयोग्य माना जायेगा। वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग लिफाफे में रखा जायेगा। इस लिफाफे पर वित्तीय निविदा अंकित करते हुए लिफाफे को सीलवंद किया जायेगा।

(5) "**तकनीकी निविदा**" और "**वित्तीय निविदा**" के अलग अलग सीलबंद दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखकर उक्त बडे लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा तथा उक्त बडे लिफाफे पर " A.C. क्रय करने का निविदा प्रपत्र" अंकित कर निर्धारित तिथि व समय तक जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं होगा। डाक से प्राप्त निविदाऐं यदि निर्धारित दिनांक व समय पर नहीं पहुंचती है तो कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) निर्धारित समयावधि में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 28.12.2023 को सांय 3:00 बजे खोला जावेगा। इस हेतु गठित समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा। सक्षम पाये जाने पर उनकी वित्तीय निविदाऐं खोली जावेगी। A.C. क्रय करने की आपूर्ति की निविदा के फार्म, निविदा शर्तें सहित निविदा प्रकाशन तिथि से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में कैशियर कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, साधारण बीमा निधि, जयपुर कमरा नंबर 207 में 200/– नकद भुगतान कर दिनांक 28.12.2023 सांय 2:00 बजे तक क्रय किये जा सकते है।

अतिरिक्त निदेशक (सा.बी.यो.)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
जयपुर।

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते है कि मैने/हमने जिन A.C. के लिए निविदा दी है उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरण/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/है ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा ।

नोटः–संबंधित पर राईट का निशान लगावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम
पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)
(कार्यालय)

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक साधारण बीमा निधि,
(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)
द्वितीय तल, डी–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005
फोनः–2740219, 2740292

कार्यालय साधारण बीमा निधि, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर के कार्यालय उपयोग हेतु A.C. क्रय करने का तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम व पूर्ण पता : ....
2. निविदा सूचना क्रमांक : ....
3. निविदा शुल्क रूपये 200/– जमा कराने का विवरण : ....
4. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय : ....
5. बिड प्रतिभूति (अमानत) राशि का विवरण : ....
6. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958/इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत/इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर/ : ....
7. जीएसटी पंजीयन क्रमांक (नियमानुसार) : ....
8. फर्म का पैन कार्ड नंबर : ....

मुझे इस निविदा की संलग्न समस्त शर्ते मंजूर है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)
वित्त भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
PHONE : 2740219, 2740292 email:add.gis.sipf@rajasthan.gov.in

क्रमांक: F4/GIS/Store/AC/MKBY/2023-24

दिनांक:

Air Conditioner क्रय हेतु वित्तीय प्रपत्र।

1. नाम फर्म / कम्पनी / संस्था:– ....

   पता:– ....

   टेलीफोन :– ....

   पैन नं. :– ....

   फर्म का रजि. नं. ....

   जीएसटी नं. ....

2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक....................

3. कार्यालय **साधारण बीमा निधि, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर के** कार्यालय उपयोग हेतु वर्ष 2023–24 के लिए Air Conditioner क्रय हेतु वित्तीय प्रपत्र के अन्तिम कॉलम में दर अंकित करनी है।

Air Conditiner specification		मात्रा	अनुमानित व्यय	दर प्रति नग समस्त कर व खर्च सहित	मैक व मॉडल
Split Air Conditioner	Conforming to IS:1391 (Part 2) latest	15	7.50 लाख		
Air Conditioner Compliance	AC				
BEE Star rating of the product (in Nos.) (Central Ministries/ Departments while procuring shall ensure that the items carry 5 star (where annual usages is expected > 1000 hrs), 3 star (where usage is Limited) ("0" Star Rating means " Not Aplicable")	5				
Nominal Marketing capacity as per BEE Star Rating Label (hint: 1 Ton = 3000 Kcal, Hr, Tolerance +/- 10%) (in Ton)	1.5				
Rated cooling capacity (in Watts) as per IS:1391 (Part 2)	3501 ≤ 5200				
Technology of air conditioner	Inverter AC – Variable Speed				
Unit Mounting Arrangement	Indoor Unit – Wall Mount type				
ISEER (Wh/Wh) values for compliance of Green AC	Not applicable for Non Green AC				
Rated voltage (in Volts)	230 V, 1 Phase, 50 Hz, AC				

and

5/16

Tolerance Value for Rated Voltage	10% of rated Voltage				
Eco-friendly Refrigerant	Yes				
Refrigerant designation	R 32				
Refrigerant Global warming potential (GWP)	675 (for R32)				
Classification by function	Cooling only (Cooling and dehumidification during cooling mode)				
Heating capacity (in Watts) Hint:- Seller should select matching Heating Capacity Value with respect to their Norminal Marketing Capacity in Tonnage)	Not applicable for Cooling only (Cooling and dehumidification during cooling mode)				
Unit type	Single split (Single Indoor and Single outdoor)				
Compressor Type	Rotary Type				
Material of Evaporator	Copper				
Material of Condenser	Copper				
Materiall of Air Filter (on Indoor unit)	Synthetic Fiber				
Reusable air filter	Yes				
AC modes	Turbo Mode, Dehumidification Mode, Self Diagnosis Mode, Quiet Mode, Dry Mode, Eco saving, Swing, Timer				
Remote Control Features	Timer, Fan Speed Control, On/Off				
Additional Features	Sleep mode, Auto Off, Indoor Temperature Indicator, Dust Filter, Auto Air Swing, Works Even at 52 degree C ambient, PM 0.3 Filter, Catha chin Filter, 4 way Auto Air Swing, Nanotech Coating on Evaporator Tubes, Automotive Frade Coating on outdoor unit				
Noise level	As per IS:1391 (Part 2) latest				

anl

Environmental Friendly Paint	Yes				
Recycled Plastic Components	<80% by weight of total plastic components in product				
Marking on the Split AC	As per Cl.17.1.1 and as per Cl.17.1.2 of IS:1391 (part 2)				
Mode of packing	Packed with Recycled Material				
Accessoris / Installation kit with each split air conditioner	3 m Cu connectiong pipe (for Wall Mount type upto 2 Ton), Remote control, 2 nos.of vattery for each remote, Operating Manual, Installation Manual, No Installation kit				
AC Machine warranty (in Years)	1				
Warranty on compressor (in Year)	10 (for Inverter AC upto including 2 Ton capacity)				
Installation	Standard installation (Scope of installation as per STC attached) with uninstallation of existing AC included				
Availability of type test report from Govt Lab/NAVL accredited lab/ILAC accredited lab to prove conformity of the specification	Yes. As per IS:1391 (Part 2) latest				
Environmental Management Certification	ISO:14000				
Agreed to furnish all the test reports and certificates to buyer on demand	Yes				

4. निविदादाता Air Conditioner की कोई विशेष विशेषता अथवा ब्राण्ड, मैक आदि भी अलग से लेटर पेड पर अंकित कर वित्तीय निविदा के लिफाफे में रख सकता है।
5. Air Conditioner निविदा दर वित्तिय वर्ष 2023–24 के लिए मान्य होगी।
6. फर्म को लैटर हैड पर भी अलग से दरें प्रस्तुत करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)
वित्त भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
PHONE : 2740219, 2740292 email add gis.sipf@rajasthan.gov.in

परिशिष्ट 'जी'

कार्यालय साधारण बीमा निधि, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर के कार्यालय उपयोग हेतु A.C. क्रय करने की निविदा की शर्तेः–

निविदादाता को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

(अ) <u>पात्रता **(Eligibility Criteria)**</u> जो अनिवार्य है, के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

1. फर्म / कंपनी / संस्था / एजेन्सीज का पंजियन / रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
2. अमानत राशि के रूप में राशि की डी.डी. निविदा फर्म के साथ संलग्न करनी होगी।
3. निविदाऐं दो अलग अलग सील बंद लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफा प्री क्वालीफिकेशन बिड / तकनीकी बिड का होगा तथा दूसरा ''वित्तीय बिड'' के लिये होगा। तकनीकी बिड में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। असफल निविदादाता की वित्तीय बिड नही खोली जायेगी।

4– प्रथम लिफाफे (प्री क्वालीफिकेशन बिड / तकनीकी बिड) में निम्न प्रपत्र रखे जायेगें :–

(क) फर्म / कंपनी / संस्था / एजेन्सीज का पंजियन / रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
(ख) अमानत राशि के रूप में राशि का डी.डी. / बैकर चैक निविदा फर्म के साथ संलग्न करना होगा।
(ग) बिड निविदा शुल्क 200 / – का बैंकर्स चैक / डीडी / रसीद संलग्न करनी होगी।
(घ) फर्म का पैन कार्ड नंबर के दस्तावेज।
(ङ) जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार)।

4. दूसरे लिफाफे में केवल **साधारण बीमा निधि, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर के कार्यालय उपयोग हेतु A.C. क्रय करने** की वित्तीय बिड होगी। जिसमें निविदादाता को अपनी दरें अंकों में एवं शब्दों में अंकित करनी होगी।
5. दोनों लिफाफे, तकनीकी बिड का सीलबंद लिफाफा तथा वित्तीय बिड का सीलबंद लिफाफा एक बड़े लिफाफे मे रखे जायेंगे जिस पर **अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर का** नाम होना चाहिए, साथ ही फर्म का नाम दूरभाष / मोबाइल नंबर भी अंकित होना आवश्यक है।

(ब) सामान्य नियम व शर्तेः–

1. निविदा देने वाली फर्म को A.C. के नमूने मांगे जाने पर देने होगें।
2. स्वीकृत दरों के अलावा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व राज. लोक उपापन नियम 2013 की सभी शर्तो की पालना करनी होगी तथा A.C. क्रय करने की मात्रा / नमूने के अनुसार फर्म द्वारा समय पर आपूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि काटी जायेगी।
4. समस्त दरें स्याही से भरी होनी चाहिये। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरी गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. निविदा में दी गयी दर किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी किया जाना आवश्यक है।
6. विभाग द्वारा A.C. क्रय करने के संबंध में दिये गये आदेश/नमूने/मापदण्ड के अनुसार फर्म द्वारा A.C. की आपूर्ति नहीं करने पर किसी भी समय अनुबंध/आदेश को भंग किया जा सकता है।
7. विभाग किसी भी निविदा को अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न दर वाली निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना रदद कर सकता है। निविदा में अंकित की गई मात्रा या वस्तुओं में प्रशासन के निर्णयानुसार उन संपूर्ण या आंशिक वस्तुओं की मात्रा के लिए आदेश दिये जा सकते है।
8. निविदादाता को संलग्न सभी प्रमाण–पत्र स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करने होंगे।
9. सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जावेगी, जिसकी उपापन समिति जाँच करेगी। जाँच के उपरान्त जो निविदादाता तकनीकी बिड़ में योग्य पाये जावेंगे, उनकी ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी।
10. सफल निविदादाता को कार्य आदेश जारी करने के सात दिवस में निविदा राशि के 5 प्रतिशत की कार्य संपादन प्रतिभूति जमा करानी होगी तथा 500/– रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी दरें निरस्त कर दी जावेगी तथा बिड प्रतिभूति (अमानत राशि) जब्त कर दी जावेगी।
11. प्रतिभूति राशि सामान की संतोषजनक आपूर्ति के 6 माह बाद निविदादाता के लिखित रूप से आवेदन करने पर लौटाई जावेगी।
12. अनुबंधित फर्म A.C. क्रय का कार्य किसी दूसरी फर्म को सबलेट नहीं करेगा अगर अनुबंधित फर्म द्वारा सबलेट किया गया तो अनुबन्ध निरस्त कर राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर का होगा।
14. फर्म द्वारा आदेशानुसार A.C. आपूर्ति करने के पश्चात ही बिल भुगतान किया जायेगा। फर्म को बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
15. बिल का भुगतान स्टोर अनुभाग से प्राप्त रिपोर्ट स्टॉक इन्द्राज के आधार पर किया जायेगा।
16. सफल निविदादाता द्वारा बीच में आपूर्ती छोड दी जाती है या कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
17. अनुबन्ध की अनुमोदित दर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये मान्य होगी।
18. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर **निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर** द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे फर्म को मानना होगा।
19. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जयपुर होगा।
20. परिसमापित नुकसानी :– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है : (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्ते ही लागू होगी)।

(1)	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5%
	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधि से अधिक कितु विहित अवधि के तीन चौथाई से	7.5%

		अनधिक अवधि के लिए	
	(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जायेगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है किंतु वह उसके लिये निवेदन बाधा के गठित होने पर तुरंत उसी समय करेगा ना की प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि मय वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

21. पैनल्टी की राशि फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।
22. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित ना किया गया हो।

अतिरिक्त निदेशक
साधारण बीमा निधि
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
जयपुर।

मैनें/हमने उपरोक्त सभी शर्तो का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम सभी शर्तो को मानने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम ....

पूरा पता..

मोबाईल/टेलिफोन नं.................

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be a Conflict of Interest with one of more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for

procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,2012, that:

1 I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/out qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition:

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation :

Address :

Scanned with CamScanner

12/16

12

Annoxure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ....

The designation and address of the Second Appellate Authority is ....

1. Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to theprovisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved. Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:Provided further that in case a Procuring Entity evaluates theTechnical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidderwhose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

5. Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filing appeal

Scanned with CamScanner

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7 Procedure for disposal of Appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1 Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. *if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;*

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or

Scanned with CamScanner

services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply for by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award

(In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Scanned with CamScanner

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of ....

Before the ....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: ....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer : ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

D:\Tender 2021-22\All tender 2022-23\Furniture purchase.docx

Scanned with CamScanner

16/23